

## न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(37)2018/199

दिनांक : 03/05/2018

निमित्त,

तहसीलदार  
राशमी

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

1. फिशन पिता देवा बैरवा नि.मोमी
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

प्रार्थीगण

- |    | बनाम                                   |
|----|----------------------------------------|
| 1. | सोहन पिता देवा बैरवा नि.मोमी           |
| 2. | अजय सिंह पिता करवा सिंह राजपूत नि.मोमी |
| 3. | रजनीश पिता पहलाद भास्की नि.उपरेश       |
| 4. | रेवमी देवा पहलाद भास्की नि.उपरेश       |
| 5. | तइरणा पिता श्रीकर भास्की नि.उपरेश      |
| 6. | बतन पिता श्रीकर भास्की नि.उपरेश        |
| 7. | नारन देवा श्रीकर भास्की नि.उपरेश       |

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 37/2018

-:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::-

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको ...150... रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता मौजा ...मोमी... पटवार हल्का ...राशमी... तहसील राशमी में स्थित आराजी संख्या ...1357/216... की दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में चारों है कि दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद एवं किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रभावी न हो तो तथा मौके पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावे, मौके पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पत्थरगढ़ी नहीं कि जावे एवं इसी आशय का पर्चा मौका प्रेषित करावे। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका पेश करे तथा कमिश्नर फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे।



पंकज शर्मा  
(पंकज शर्मा)  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी),  
राशमी